बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या–पी.आर. 49/2018

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2018 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु प्रधान परीक्षकों एवं सह परीक्षकों के मूल नियुक्ति पत्र वितरण किये जाने से संबंधित आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा माध्यमिक स्तर के मान्यता प्राप्त सभी विद्यालय के प्रधान, शिक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक) एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2018 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का **दिनांक 13.03.2018 से 22.03.2018 तक** मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया गया है। मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन केन्द्रवार, विषयवार जिला के नियुक्त सभी प्रधान परीक्षकों एवं सह परीक्षकों का मूल नियुक्ति पत्र समिति के प्रतिनियोजित कर्मी के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में वितरण हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

2. माध्यमिक स्तर के मान्यता प्राप्त सभी विद्यालय के प्रधान से अनुरोध है कि वे स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत दूत के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से अपने विद्यालय के शिक्षकों का मूल नियुक्ति पत्र यथाशीघ्र प्राप्त कर संबंधित शिक्षकों को उपलब्ध करायेंगे और उन्हें मूल्यांकन केन्द्र पर निर्धारित समय पर योगदान हेतु विरमित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. साथ ही सूचित किया जाता है कि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के शिक्षकों का प्रधान परीक्षक एवं सह परीक्षक के रूप में निर्गत किये गए नियुक्ति पत्र समिति के वेबसाईट **www.biharboard.ac.in** पर विद्यालय कोड के साथ **दिनांक 28.02.2018 से** अपलोड रहेगा। वैसे शिक्षक, जिन्हें किसी कारणवश समिति द्वारा प्रेषित नियुक्ति पत्र उपलब्ध नहीं हो पाया हो तो वे अपना नियुक्ति पत्र समिति के उक्त वेबसाईट से डाउनलोड कर अपने विद्यालय प्रधान से अभिप्रमाणित कराकर अभिप्रमाणित नियुक्ति पत्र एवं विरमण पत्र के साथ निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
4. **नियुक्ति पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया** :– समिति के वेबसाईट **www.biharboard.ac.in** पर Event and Notification Section में जाकर अपने विद्यालय का कोड डालकर प्रधान परीक्षक एवं सह परीक्षक का नियुक्ति पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
5. समिति द्वारा प्रेषित प्रधान परीक्षकों एवं सह परीक्षकों के नियुक्ति पत्र में यदि किसी प्रकार की त्रुटि यथा– किसी अनधिकृत शिक्षक का नाम हो/देहावसान हो चुका हो/स्थानांतरण हो गया हो/ काली सूची में नाम दर्ज हो/विषय से भिन्न विषय का नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया हो/प्रधान परीक्षक एवं सह परीक्षक की योग्यता एवं अर्हता पूरा नहीं करते हों तो वैसे शिक्षकों के नियुक्ति पत्र को अमान्य कर उन्हें नियुक्ति पत्र हस्तगत नहीं कराया जाय और विद्यालय के प्रधान ऐसे सभी नियुक्ति पत्र को मूल रूप से कारण सहित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में वापस कर देंगे तथा इसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक) के ई–मेल आई0डी0 **coe.matricbseb@gmail.com** पर भी अनिवार्य रूप से भेज देंगे।

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)